



**RAJASTHAN RAJYA TILHAN UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.  
(TILAM SANGH) FATEHNAGAR PROJECT**

**GRAM – VASNI KALLAN, TEH-MAVLI, DISTT-UDAIPUR (RAJ.) – 313205**  
Ph. 02955-220080, 220480, FAX 02955-220480 Email : tsrfrnr@gmail.com

**निविदा प्रपत्र (2024-25)**

**खाद्य तेल पैकिंग-फिलिंग/लोडिंग/अनलोडिंग/श्रमिक आपूर्ति**

1. निविदा प्रपत्र दिये जाने की अंतिम तारीख : 10.09.2024, समय: दोपहर 12:00 बजे तक
2. निविदा प्राप्त किये जाने की दिनांक : 10.09.2024, समय: दोपहर 2:00 बजे तक
3. निविदा खोले जाने की दिनांक : 10.09.2024, समय: दोपहर 3:00 बजे

1. निविदादाता का नाम :-

A. यदि निविदादाता एकाकी स्वामी (सोल प्रोपराइटर)

है तो स्वामी का नाम (पिता के नाम सहित)

B. यदि निविदादाता भागीदारी संस्था (पार्टनरशिप फर्म) है तो

अ. फर्म का नाम

ब. रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम व संख्या

स. भागीदार के नाम, पते व उनकी अंश मात्रा

द. संस्था का आयकर स्थायी खाता संख्या

2. स्थानीय पता

अ. डाक का पूरा पता

ब. मोबाइल नं. (नाम सहित)

3. निविदादाता के बैंक खाता संख्या व बैंक का नाम

(पिछले छः माह का बैंक विवरण पत्र संलग्न करें)

5. निविदादाता का आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)

(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

8. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं. (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

9. आई टी आर (गत 2 वर्षों की प्रति संलग्न करें)

10. अनुभव प्रमाण पत्र (कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)

11. शुल्क :

अ. निविदा शुल्क राशि रूपये 300/- रसीद नं. .... दिनांक ..... की छायाप्रति संलग्न करें।

ब. EMD (धरोहर राशि) राशि रु. 10000/- का डीडी/पे-ऑर्डर नं. .... दिनांक ..... संलग्न करें।

**निविदा प्रपत्र व दस्तावेज भरने हेतु आवश्यक निर्देश**

1. निविदादाता को समस्त सम्बन्धित दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को, जो उनकी बोलियों के साथ प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, की हस्ताक्षरित प्रतियों की कॉपी टेण्डर के रूप में संलग्न करनी होगी।
2. निविदादाता द्वारा खाद्य तेल पैकिंग-फिलिंग/लोडिंग/अनलोडिंग/श्रमिक आपूर्ति हेतु जमा करायी जाने वाली EMD राशि का विवरण शर्तों में अंकित है।
3. निविदा आंकलन :- किसी भी निविदादाता का आंकलन निर्धारित बिन्दुओं में दी गयी सर्वाधिक न्यूनतम दरों के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार न्यूनतम निविदादाता से नेगोसिएशन किया जाकर अन्य स्लेबों में प्राप्त हुई अन्य निविदादाताओं की न्यूनतम दरों अनुसार कार्यादेश दिया जावेगा।
4. टेण्डर फार्म तथा हस्तलिखित दरें टेण्डर बॉक्स में स्वीकार की जायेगी।
5. कृपया टेण्डर भरने से पूर्व समस्त दिशा-निर्देशों का अध्ययन करें।
6. किसी भी जानकारी हेतु 02955-220480, 220080 पर सम्पर्क करें।

### तकनीकी निविदा भरने हेतु चैक लिस्ट

तकनीकी निविदा में सफल होने हेतु निम्नानुसार दस्तावेजों की प्रतियां टेण्डर भरते समय संलग्न की जानी अति आवश्यक है, जिनके अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

1. Fees

- a) Tender Participation हेतु 300/- का डीडी/पे-ऑर्डर/केश जिसे परियोजना में निर्धारित समय में जमा कराया जाना है। (तिलम् संघ राजस्थान, फतहनगर परियोजना, फतहनगर पर देय)
- b) जमा करायी जाने वाली EMD राशि का विवरण शर्तों में अंकित समुचित राशि का डीडी/पे-ऑर्डर, जिसे परियोजना में निर्धारित समय में जमा कराया जाना है। (तिलम् संघ राजस्थान, फतहनगर परियोजना, फतहनगर पर देय)

2. टेण्डर निविदा प्रपत्र में संलग्न राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 अन्तर्गत Annexure-B अनुसार निविदादाता द्वारा जारी Declaration by the Bidder प्रपत्र।

3. पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति।

4. निविदा प्रपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों को पढ़ने व समझने पश्चात् उनकी सहमति हेतु दिये जाने वाला प्रपत्र (परिशिष्ट-E)

6. आवश्यक प्रमाण-पत्र निविदा प्रपत्र अनुसार संलग्न करें।

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना

खाद्य तेल पैकिंग-फिलिंग/लोडिंग/अनलोडिंग/श्रमिक आपूर्ति कार्य विवरण

निम्नलिखित कार्य परियोजना प्रतिनिधि के अनुसार तेल पैकिंग फिलिंग सेक्शन में तीनों पारियों में कराया जा सकता है।  
चूंकि यह खाद्य सामग्री है अतः कार्य स्थल को साफ सुथरा रखना एवं तेल भरने से पूर्व टिन/जार/बोतल को अच्छी तरह साफ कर, जांच उपरान्त ही भरना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

1. परियोजना में आने वाली निम्न (खाली) वस्तुओं को ट्रक या अन्य वाहन से उतारना, वजन, लीकेज, हाइड्रोलिक तथा अन्य आवश्यक गुणवत्ता की जांच पश्चात् आवश्यकता अनुसार बताए स्थान पर व्यवस्थित चट्टा लगाना, गिनती कर सम्भालना, त्रिपाल आदि ढकना अथवा परियोजना से बाहर जाने वाली निम्न (खाली) वस्तुओं को ट्रक या अन्य वाहन में चढ़ाना गिनती कर सम्भलवाना, त्रिपाल आदि ढकना।

(i)	दर प्रति 100 बोतल (200 मि.ली.)	.....
(ii)	दर प्रति 100 बोतल (500 मि.ली.)	.....
(iii)	दर प्रति 100 बोतल (1 लीटर)	.....
(iv)	दर प्रति 100 जार (2 लीटर)	.....
(v)	दर प्रति 100 जार (5 लीटर)	.....
(vi)	दर प्रति 15 कि.ग्रा./लीटर टिन	.....
(vii)	दर प्रति 15 कि.ग्रा./लीटर पोलीजार	.....
(viii)	दर प्रति 100 खाली कार्टून (कोरुगेटिड बॉक्स)	.....
(ix)	दर प्रति 100 टॉप/बाटम (टिन के)	.....
(x)	दर प्रति strip roll box	.....

2. परियोजना में बाहर से आने वाली निम्न (भरी) वस्तुओं को ट्रक या अन्य वाहन से उतारना, वजन, लीकेज तथा अन्य आवश्यक गुणवत्ता की जांच पश्चात् आवश्यकता अनुसार बताए स्थान पर व्यवस्थित चट्टा लगाना, गिनती कर सम्भालना, त्रिपाल ढकना आदि अथवा परियोजना में निम्न पैकिंग को ट्रक या अन्य वाहन में लोड करना।

(i)	दर प्रति कार्टून (200 मि.ली. बोतल)	.....
(ii)	दर प्रति कार्टून (500 मि.ली. बोतल)	.....
(iii)	दर प्रति कार्टून (1 लीटर बोतल)	.....
(iv)	दर प्रति कार्टून (1 लीटर पाऊच)	.....
(v)	दर प्रति कार्टून (2 लीटर जार)	.....
(vi)	दर प्रति कार्टून (5 लीटर जार)	.....
(vii)	दर प्रति 15 कि.ग्रा./लीटर टिन	.....
(viii)	दर प्रति 15 कि.ग्रा./लीटर पोलीजार	.....

3. खाली बोतल (200 ml/500 ml/1 Ltr.) को साफ कर तेल भरना, ढक्कन लगाकर सील करना, batch no./date of packing/MRP आदि की कोडिंग कर लेबल चिपकाना, निर्देशानुसार shrink लगा कर कार्टून में पैक करना, कार्टून सील करना, बैल्टिंग करना, स्टेक लगाना, गिनती कर संभलवाना आदि।

	Rate with shrink	Rate without shrink
(i)	दर प्रति कार्टून (200 मि.ली. बोतल - 48)	.....
(ii)	दर प्रति कार्टून (500 मि.ली. बोतल-24)	.....
(iii)	दर प्रति कार्टून (1 लीटर बोतल-12)	.....

4. खाली जार (2/5/15 Kg./Ltr.) को साफ कर तेल भरना, क्रेप एवं वेड को लगाकर सील करना, batch no./date of packing/MRP आदि की कोडिंग कर लेबल चिपकाना, निर्देशानुसार shrink लगा कर कार्टून में पैक करना, कार्टून सील करना, बैल्टिंग करना, स्टेक लगाना, गिनती कर संभलवाना आदि।

	Rate with shrink	Rate without shrink
(i)	दर प्रति कार्टून (2 लीटर जार)	.....
(ii)	दर प्रति कार्टून (5 लीटर जार)	.....
(iii)	दर प्रति 15 कि.ग्रा./लीटर पोलीजार	.....

5. 15 कि.ग्रा./लीटर के खाली प्लेन/प्रिन्टेड टिन को साफ कर तेल भरना, newman cap/spout लगाकर सीलिंग करना, batch no./date of packing/MRP आदि की कोडिंग कर लेबल चिपकाना, निर्देशानुसार टोप/बोटम लगाकर बैल्टिंग करना, स्टेक लगाना, गिनती कर संभलवाना आदि ।

plain tin

Printed tin

दर प्रति 15 कि.ग्रा./लीटर टिन

6. 15 कि.ग्रा./लीटर के खाली printed टिन को साफ कर तेल भरना, newman cap/spout लगाकर सीलिंग करना, batch no./date of packing/MRP आदि की कोडिंग करना, निर्देशानुसार टोप/बोटम लगाकर बैल्टिंग करना, स्टेक लगाना, गिनती कर संभलवाना आदि ।

दर प्रति 15 कि.ग्रा./लीटर टिन

7. निर्देशानुसार कार्टून खोलकर प्रत्येक टिन/जार/बोटल/पाउच आदि पर किसी प्रकार की नई सूचना अंकित करना या चस्या करना तथा कार्टून में पुनः पैक कर सील करना एवं निर्देशित स्थान पर चट्टा लगाना ।

(i) दर प्रति कार्टून (200 मि.ली. बोटल)

(ii) दर प्रति कार्टून (500 मि.ली. बोटल)

(iii) दर प्रति कार्टून (1 लीटर बोटल)

(iv) दर प्रति कार्टून (1 लीटर पाऊच)

(v) दर प्रति कार्टून (2 लीटर जार)

(vi) दर प्रति कार्टून (5 लीटर जार)

(vii) दर प्रति 15 कि.ग्रा. टिन

8. भरे हुए प्लेन/प्रिन्टेड लीकेज 15 कि.ग्रा./लीटर टिनों की Soldering करना – दर प्रति टिन

9. रसायनिक उर्वरक यथा यूरिया, डीएपी एवं अन्य को ट्रक या अन्य वाहन से उतारना, फटा-टुटा देखकर आवश्यकता अनुसार बताए स्थान पर व्यवस्थित चट्टा लगाना, गिनती कर सम्भालना, त्रिपाल ढकना आदि ।

(i) दर प्रति बैग (50 कि.ग्रा.)

(ii) दर प्रति बैग (45 कि.ग्रा.)

(iii) दर प्रति बैग (40 कि.ग्रा.)

(iv) दर प्रति बैग (30 कि.ग्रा.)

(v) दर प्रति कार्टून/बाल्टी

(vi) फटे-टुटे बैग की सिलाई करना

10. परियोजना द्वारा क्रय टेंकर Unloading, Sampling, Vitamin mixing & circulation कार्य की दर

11. श्रमिक आपूर्ति

क्र.स.	विवरण	दर दिन (समस्त कर सहित)
1.	हेल्पर	प्रतिदिन
2.	सिविल मिस्त्री	प्रतिदिन

**आवश्यक विवरण :-**

- परियोजना में दिन-प्रतिदिन के आधार पर खाली तथा भरे कार्टून/टिन/जार/बोटल आदि का स्टॉक की गिनती कर आवश्यक रूप से देनी होगी, जिसे परियोजना प्रतिनिधि द्वारा कभी भी चेक किया जा सकता है।
- परियोजना में किसी भी प्रकार का फिलिंग से सम्बन्धित Items एक निर्धारित स्थान पर (बताये अनुसार) ही एकत्रित करे तथा उसे हानि से बचावे। स्टॉक विवरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित करावें। किसी भी प्रकार की कमी/हानि की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- फिलिंग विभाग में पैकिंग हेतु तेल ट्रांसफर करते समय लाईन के वाल्व को आवश्यकतानुसार खोले/बन्द करे। किसी भी प्रकार की लापरवाही में हुई क्षति की वसूली ठेकेदार स्वयं से की जावेगी।

4. टिन/कन्जुमर पैक्स में निर्धारित मात्रा में तेल फिलिंग करना होगा । निर्धारित मात्रा से अधिक तेल फिलिंग पाये जाने पर परियोजना में रखे स्टॉक में तदनुसार मानते हुए अधिक तेल की कटौती ठेकेदार से की जावेगी। यदि निर्धारित मात्रा से टिन/कन्जुमर पैक्स में तेल फिलिंग कम पायी जाती है तो परियोजना द्वारा ठेकेदार को जुर्माना लगाया जावेगा तथा ठेकेदार को समस्त स्टॉक का वजन चैक कर सही करना होगा, जिसका अलग से कोई देय नहीं होगा ।
5. भरा हुआ टिन लीकेज/कुन्डा टूटने पर ठेकेदार द्वारा तुरन्त प्रभाव से सोल्डरिंग कर वजन पूरा कर स्टेक में लगाना होगा। इस हेतु सोल्डरिंग मटेरियल एवं अन्य आवश्यक संसाधन अंगीठी इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं की होगी।
6. यदि कार्टून में पाउच/बोतल/जार रखे स्टेक में लीकेज होते हैं अथवा अवधि एक्सपायर होती है तो उन्हें तुरन्त प्रभाव से पाउच/ बोतल/जार को बदलकर दूसरे कार्टून में पैकिंग करना, जिसका अलग से कोई देय नहीं होगा ।
7. फिलिंग/सीलिंग/पाउच फिलिंग मशीन/स्ट्रेपिंग मशीन/shrink एवं अन्य मशीन रिपेयर करना, टैंकर लोडिंग/अनलोडिंग पम्पों की रूटिन मेन्टेनेन्स ठेकेदार द्वारा की जावेगी, जिसका अलग से कोई देय नहीं होगा । मशीनों के आवश्यक स्पेयर्स के स्टॉक हेतु ठेकेदार को समय से पूर्व में अवगत कराना होगा, ताकि परियोजना कार्य बाधित न हों।
8. मेजर मेन्टेनेन्स परियोजना स्तर पर करवाया जावेगा, जिसके लिए लेबर ठेकेदार द्वारा दी जावेगी। जिसका अलग से कोई देय नहीं होगा ।
9. ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पूर्णतया साफ/सुथरा रखना होगा। साफ सुथरा नहीं पाये जाने पर रु. 500/- की पेनल्टी लगायी जावेगी ।
10. फिलिंग के दौरान ठेकेदार की लेबर के द्वारा नष्ट/खराब किये गये गत्ते के कार्टून/टिन/जार/बोतल/अन्य सामान की वसूली ठेकेदार से की जावेगी ।
11. गलत ढंग से की गयी सीलिंग के कारण टिन के कटने पर टिन रिपेयरिंग कार्य ठेकेदार को अपने स्तर पर करना होगा, जिसका कोई भुगतान देय नहीं होगा ।
12. तेल पैकिंग/फिलिंग/लोडिंग/अनलोडिंग कार्य समय पर न होने पर ठेकेदार से न्यूनतम पेनल्टी रु. 1000/- वसूल की जावेगी ।
13. फर्श/ट्रे पर से इक्वटा किया गया तेल निर्देशित स्थान पर डालना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा ।
14. बोतल एवं जार में shrink लगाने पर मशीन का तापक्रम सुनिश्चित कर कार्य करें ताकि बोतल/जार de-shaped न हो तथा shrink सही ढंग से लगी हो। कार्य में किसी प्रकार की कमी होने पर हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार स्वयं से की जावेगी ।
15. निविदादाता के श्रमिकों को परियोजना में निर्देशानुसार समस्त कार्य करना होगा ।
16. सामान्यतया प्रतिदिन कार्य की अवधि 8 घण्टे तथा पार्ट टाइम कार्य की अवधि 4 घण्टे होगी ।
17. निविदादाता के श्रमिकों की कभी भी किसी भी प्रकार की देयता का उत्तरदायित्व तिलम् संघ का नहीं होगा ।
18. निविदादाता के श्रमिकों को परियोजना प्रबन्धन द्वारा अवगत करायी गयी निर्धारित पारियों में कार्य करना होगा।
19. परियोजना प्रबन्धन के औचिक निरीक्षण के दौरान संबंधित पारी में ड्यूटी पर श्रमिक नहीं पाये जाने पर /परियोजना परिसर में चोरी-चकारी की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं उक्त की वसूली निविदादाता के बिल/सिक्यूरिटी राशि से की जावेगी ।
20. निविदादाता के श्रमिकों द्वारा रात्रि गस्त के दौरान आवश्यक उपकरण जैसे टॉर्च/hunter shoes स्वयं निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा ।
21. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो परियोजना कार्यालय में जमा कराना होगा ।
22. निविदादाता के श्रमिकों को देय वेतन, भते परिलाम आदि के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता की होगी। यदि किसी विधिक प्रावधान के अन्तर्गत कभी कोई देयता या अवैधानिकता ज्ञात होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता की होगी, इस हेतु तिलम् संघ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ) फतहनगर परियोजना  
खाद्य तेल पैकिंग-फिलिंग/लोडिंग/अनलोडिंग/श्रमिक आपूर्ति

1. अनुबन्ध के पक्षकार कॉन्ट्रेक्टर एवं फतेहनगर परियोजना, जिसका कि प्रतिनिधित्व महाप्रबन्धक अथवा उसके लिए अन्य कोई भी अधिकृत एवं कार्यकारी अधिकारी करते हैं, होंगे।
2. किसी व्यक्ति, संस्था के लिये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा व्यक्ति अनुबन्ध के अधीन पूर्णतः उत्तरदायी माना जावेगा। यदि सम्बन्धित व्यक्ति किसी दीवानी एवं फौजदारी मामले का दोषी पाया जाता है तो अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है और हस्ताक्षर करने वाले को लागत वश हानि के लिये उत्तरदायी ठहरा सकता है।
3. यदि परियोजना यह महसूस करे कि कॉन्ट्रेक्टर ने अपने नियुक्ति हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में अपनी योग्यता गलत दर्शाई है अथवा इस अनुबन्ध की किसी भी शर्त को भंग करता है, तो परियोजना को यह स्वतन्त्रता होगी, कि बिना किसी क्षतिपूर्ति के व भुगतान के लिये उत्तरदायी होते हुए किसी भी समय एक सप्ताह के सूचना पर कॉन्ट्रेक्टर का अवसान अथवा प्रत्यावर्तन कर सकता है।
4. अनुबन्ध के अधीन किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार अथवा नोटिस आदि परियोजना को कॉन्ट्रेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही किया/दिया जावेगा। कार्य सम्बन्धी अनुबन्ध एवं शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप यदि कॉन्ट्रेक्टर और परियोजना के बीच विवाद हो जाए तो उसके लिए निपटारे हेतु प्रबन्ध संचालक, तिलम् संघ का निर्णय अन्तिम होगा।
5. कॉन्ट्रेक्टर के अधिकार की सीमा तिलम् संघ राजस्थान फतहनगर परियोजना, फतहनगर के लिए अनुबन्ध में कार्यालय द्वारा स्वीकृत पत्र में वर्णित कार्यों को करने तक ही सीमित होगा।
6. कॉन्ट्रेक्टर परियोजना में किसी विशेष कार्य की निश्चित मात्रा अथवा किसी विशेष प्रतिरूप से सेवा के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। कॉन्ट्रेक्टर को ऐसा अधिकार नहीं होगा कि किसी कार्य को अथवा सभी कार्य को आवश्यक रूप से अथवा केवल मात्र उससे ही कराया जावे। परियोजना को यह अन्य (एक्सक्लूसिव) अधिकार होगा कि विशेष अथवा अनुबन्ध में वर्णित सभी कार्यों के लिए एक से अधिक निविदादाता की नियुक्ति करें अथवा परियोजना जैसा निश्चित करे तदनुसार कार्य को ऐसे कॉन्ट्रेक्टर के मध्य बांटे। इस प्रकार कार्य के बंटवारे के कारण परियोजना के विरुद्ध कॉन्ट्रेक्टर का कोई दायित्व नहीं होगा।
7. अगर कॉन्ट्रेक्टर से सूची में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य कराया जाता है, तो ऐसे कार्यों के लिये जो दरें आपसी समझौते से तय होगी वही दी जाएगी।
8. सामान्यतः टेण्डर में कार्य अवधि एक वर्ष की होगी, जिसे आपसी सहमति से आवश्यकतानुसार आगे बढ़ायी जा सकती है।
9. निविदा के साथ धरोहर राशि (अर्नेस्ट राशि) के रूप में 10000/- रु. (दस हजार) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि तिलम् संघ राजस्थान, फतहनगर परियोजना, फतहनगर के पक्ष में जारी किया गया हो संलग्न करना आवश्यक है। यदि निविदादाता निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है अथवा उसकी शर्तों में संशोधन करता है, तो धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार परियोजना के पास सुरक्षित रहेगा। निविदादाता द्वारा निविदा को स्वीकृति के बाद निश्चित समय में प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) जमा करवाने पर परियोजना के अनुबन्ध एवं नियमों के अनुसार कान्ट्रेक्ट दिया जाएगा तथा जमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। धरोहर राशि कॉन्ट्रेक्टर की नियुक्ति पश्चात् शेष निविदादाताओं को लौटा दी जावेगी। सफल निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 10000/- को जमानत राशि में समायोजित करते हुए कुल जमानत राशि के रूपये 20000/- निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस में जमा करवानी होगी। जमानत राशि निविदादाता को अनुबन्ध को सुचारू रूप से एवं सभी प्रकार के कार्य निष्पादन करने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अथवा अंकेक्षण/महालेखाकार अंकेक्षण पश्चात् उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर महाप्रबन्धक की अनुमति के पश्चात् बिना किसी ब्याज के लौटा दी जावेगी।
10. कॉन्ट्रेक्टर परियोजना के बिना लिखित अनुमोदन के अनुबन्ध को अथवा अनुबन्ध के किसी भाग को किसी अन्य को हस्तान्तरण, अभिहस्तान्तरण (असाईन) नहीं करेगा। अनुबन्ध किसी दूसरे को देने एवं उसके परिणामस्वरूप परियोजना को होने वाली किसी प्रकार की हानि के लिये कॉन्ट्रेक्टर जिम्मेदार होगा।
11. किसी कार्य को करने में लापरवाही अथवा देरी की वजह से दिये जाने वाले हर्जाने अथवा सभी प्रकार के नुकसान, हानियों आदि के लिये कॉन्ट्रेक्टर जिम्मेदार होगा चाहे वह कॉन्ट्रेक्टर की अपनी अथवा अपने कर्मचारियों, मजदूरों की लापरवाही से अथवा अन्य किसी कारण से हो। निर्देशानुसार समय पर कार्य करना होगा तथा माल आदि की सुरक्षा उसे वर्षा में त्रिपाल आदि डालकर करनी होगी एवं आने/जाने वाले ट्रकों को खाली करने/भरने का कार्य अतिशीघ्र करना होगा।
12. परियोजना में खाद्य तेल पैकिंग-फिलिंग/लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य 24 घण्टे करवाया जा सकता है। अतः कॉन्ट्रेक्टर को अनुबन्ध के अनुसार उपयुक्त संस्था के कर्मचारी एवं मजदूर आदि रखने होंगे, अनुबन्ध की सभी अथवा किसी भी शर्त को भंग करने पर महाप्रबन्धक को अनुबन्ध निरस्त करने का एकतरफा अधिकार होगा। अगर कॉन्ट्रेक्टर किसी कार्य को करने में असफल रहता है तो वह कार्य परियोजना किसी अन्य से कराने को स्वतन्त्र होगी तथा इस प्रकार होने वाले किसी भी नुकसान के लिये कॉन्ट्रेक्टर उत्तरदायी होगा तथा सभी क्षतियों एवं हानियों की वसूली उससे की जावेगी।
13. यदि प्रतिभूति निक्षेप की राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाती है तो बकाया राशि की वसूली उसके बिलों अथवा अन्य किसी भी मद से कर ली जावेगी तथा शेष राशि का भुगतान कॉन्ट्रेक्टर को करना होगा। अनुबन्ध एवं इसकी शर्तें समय-समय परियोजना के नियमों, विनियमों और शर्तों के अनुसार परिवर्तन की जा सकती है। जिसको कॉन्ट्रेक्टर मानने को बाध्य होगा तथा महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

14. कॉन्ट्रेक्टर को उसके द्वारा किये गये कार्य का मासिक बिल परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा सत्यापन कर चैक द्वारा कर दिया जायेगा। कार्य हेतु स्वीकृत की गई दरों से ही भुगतान होगा। यदि कॉन्ट्रेक्टर द्वारा निर्धारित Items के किसी भाग का कार्य नहीं किया गया तो परियोजना को अधिकार होगा, कि वह नहीं किये गये कार्य के लिये कटौती करे।
15. न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी से कम भुगतान करते पाये जाने पर कॉन्ट्रेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतः कॉन्ट्रेक्टर को न्यूनतम मजदूरी भुगतान के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार के आदेश के तहत मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक है।
16. (अ) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी प्रकार की कटौती जैसे-आयकर, सर्विस टैक्स (कार्गो) इत्यादि कॉन्ट्रेक्टर के बिलों से की जाकर शेष का भुगतान किया जावेगा। इसके लिए निविदादाता द्वारा देय मजदूरी का विवरण प्रतिमाह परियोजना में प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता को कार्गो लाइसेन्स भी प्रस्तुत करना होगा।  
(ब) कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात एक माह के अन्दर अथवा प्रथम बिल प्रस्तुत करने से पूर्व श्रम कार्यालय से लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पेन नं. की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर बिल के भुगतान किया जा सकेगा। 10 से अधिक श्रमिक होने पर बिल में से भविष्य निधि की कटौती की जावेगी, जिसे कॉन्ट्रेक्टर द्वारा भविष्य निधि कार्यालय स्वयं की फर्म का पंजीकरण करवाकर जमा करवाया जाना होगा।
17. कॉन्ट्रेक्टर उन सभी निर्देशों का पालन करेगा जो कि अनुबन्ध से प्रासंगिक हो तथा समय-2 पर जारी किये गये हों।
18. कॉन्ट्रेक्टर उसके कर्मचारी, मजदूर कामगार परियोजना में सुरक्षा के लिये व चोरी अथवा किसी भी प्रकार की हानि न हो इसके लिये बाध्य होंगे। परियोजना में बीडी, सिगरेट अथवा अन्य सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करना वर्जित है। उल्लंघन करने पर दण्डनीय अपराध होगा व बिना परिचय पत्र के परियोजना में प्रवेश निषेध होगा।
19. परियोजना के आसपास की भूमि में किसी प्रकार का उत्पादन किया जाएगा अथवा परियोजना में उत्पादित वस्तुएँ व बाहर से आने वाले कच्चे माल आदि को खाना, तोड़ना, फाड़ना या किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना दण्डनीय अपराध होगा। कॉन्ट्रेक्टर के सभी कामगार, मजदूर फौवर्दी नियमों की पालना करते हुए पूर्ण अनुशासन में रहेंगे। अनुशासनहीनता अपराध होगी।
20. परियोजना में कार्यरत कामगारों आदि की दुर्घटना के कारण किसी भी प्रकार की चोट या अन्य किसी प्रकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रेक्टर को करनी होगी।
21. कॉन्ट्रेक्टर को अपने कामगारों, श्रमिकों का हाजरी पत्राक व परियोजना नियमानुसार आवश्यक सभी रिकार्ड भरने होंगे तथा पी. एफ., ई.एस.आई., बोनस तथा समय-2 पर जारी/लागू होने वाले सभी नियम व उपनियम मान्य करते हुए इस अनुसार कार्य करना होगा। कॉन्ट्रेक्टर द्वारा नियोजित कामगार श्रमिक आदि के लिये परियोजना किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।
22. परियोजना का कोई रिकार्ड या परियोजना का कोई अन्य सामान जो कॉन्ट्रेक्टर के पास हो उसे कार्य समाप्त होने पर परियोजना में जमा कराना होगा अन्यथा उक्त सामान की कीमत कॉन्ट्रेक्टर के बिल से वसूल की जाएगी।
23. कॉन्ट्रेक्टर को अनुबन्ध के एक माह के अन्दर आयकर का प्रमाण पत्र आयकर विभाग से देना होगा अन्यथा नियमानुसार तिलम् संघ आयकर की कटौती करेगा।
24. कॉन्ट्रेक्टर ही परियोजना क्षेत्र में कार्य करवा सकेगा व किसी भी प्रतिनिधि (सब कॉन्ट्रेक्टर) को नियुक्त नहीं कर पाएगा।
25. कोई भी वार्ता एवं लेनदेन केवल कॉन्ट्रेक्टर से ही किया जावेगा।
26. कॉन्ट्रेक्टर अथवा उसका कोई प्रतिनिधि हर समय परियोजना पर मौजूद रहेगा।
27. कॉन्ट्रेक्टर के साथ कार्य करने वाले सभी कामगार मजदूरों का पहचान पत्र होना जरूरी है श्रमिकों को भुगतान का प्रमाण पत्र भविष्य निधि से काटी गई राशि का विवरण, हाजरी रजिस्टर आदि का विवरण प्रभारी (प्रशासन) को प्रतिमाह देना होगा।
28. कॉन्ट्रेक्टर परियोजना में आने-जाने वाले वाहनों के ड्राइवरों या सम्बन्धित पार्टी से लोडिंग/अनलोडिंग हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं लेगा। अतिरिक्त राशि हेतु किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर परियोजना प्रबन्धन द्वारा जुर्माना लगाया जावेगा।
29. कॉन्ट्रेक्टर को निविदा के साथ श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर का अनुज्ञापत्र प्राप्त कर परियोजना को प्रस्तुत करना होगा।
30. कॉन्ट्रेक्टर अनुबन्ध की अवधि में संबंधित गोदामों/कार्यस्थल/परिसर की आवश्यक साफ-सफाई के लिये जिम्मेदार होगा।
31. अनावश्यक रूप से गोदाम खुला छोड़ने पर पक्षी/कबूतर इत्यादि के कारण किसी भी प्रकार के नुकसान की वसूली कॉन्ट्रेक्टर से की जावेगी। उपरोक्त से हुई गंदगी को रोकने हेतु कॉन्ट्रेक्टर सदैव बाध्य रहेगा।
32. कॉन्ट्रेक्टर का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद न होने की दशा में आवंटित कार्य दूसरे निविदादाता को आवंटित कर दिया जायेगा।

कॉन्ट्रेक्टर द्वारा घोषणा :- उपरोक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

निविदादाता का नाम .....	हस्ताक्षर .....
पता .....	दूरभाष नं. ....
.....	मोबाइल नं. ....

— इकरारनामा —

यह इकरारनामा आज दिनांक ..... को राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम् संघ), फतहनगर जिसे आगे चलकर परियोजना के नाम से सम्बोधित किया गया है। तथा ..... द्वारा आगे चलकर निविदादाता के नाम से सम्बोधित किया गया है के बीच निष्पादित किया जाता है। परियोजना द्वारा निविदादाता को कार्यादेश व अन्य निर्देशों के अनुसार तिलम् संघ फतहनगर परियोजना में कार्य सौंपा जाता है तथा इस कार्य को सूचारु रूप से सम्पादन एवं संचालन हेतु परियोजना एवं निविदादाता के बीच में सह इकरारनामा किया जाता है :-

1. निविदादाता को परियोजना में निर्देशित संख्या में श्रमिक उपलब्ध करना स्वीकार्य है, दरें कार्य आदेश के अनुसार होगी व इस इकरारनामों के तहत आवश्यकतानुसार कार्य आदेश/निर्देश दिये जावेंगे। शर्त आदेश, इकरारनामों व सुरक्षा राशि समय समय पर दिये निर्देशों के अनुसार मान्य होगी।
2. निविदादाता परियोजना की ख्याति एवं उसके व्यवसायिक हितों को उसी निष्ठा से ध्यान रखेगा, जैसे वह अपनी ख्याति और हितों को रखता है। जो जानकारी गोपनीय हो उसे उजागर नहीं करेगा, न ही कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे परियोजना के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
3. निविदादाता द्वारा वांछित मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं कराने एवं परियोजना के हितों एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या निविदा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के कार्य आदेश निरस्त कर सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है। निविदा/कार्य समयावधि का शेष कार्य निविदादाता की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य व्यवस्था से सम्पादित करवाया जा सकता है। निविदादाता द्वारा परियोजना को पहुंचायी किसी प्रकार की हानि या परियोजना द्वारा लगायी शास्ति की वसूली निविदादाता को देय भुगतान में से की जा सकती है अथवा अलग से वसूली की जा सकती है।
4. इस इकरारनामों की शर्तों के अलावा अन्य शर्तें जो परियोजना निविदा प्रपत्र एवं कार्य आदेश में दी है भी यथावत लागू रहेगी। साथ ही समय समय पर आवश्यकतानुसार दिये निर्देशों की पालना करनी होगी एवं इस इकरारनामों/अनुबन्ध का हिस्सा रहेगी। इस इकरारनामों की शर्तों के संबंध में या किसी प्रकार के अन्य विभाग की स्थिति में तिलम् संघ के प्रबन्ध संचालक महोदय का निर्णय सर्वोपरि एवं अन्तिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बन्धनकारी होगा।

यह इकरारनामा परियोजना महाप्रबन्धक श्री..... व निविदादाता श्री ..... के द्वारा आज दिनांक ..... को आपसी सहमति से एवं सूझ बुझ से लिया गया है। जो कि वक्त बेवक्त काम आवे।

फतहनगर (राज.)

हस्ताक्षर  
निविदादाता मोहर

हस्ताक्षर  
परियोजना अधिकारी मोहर

गवाह : 1.

2.